हिन्दी अकादमी
के
नियम एवं विनियम

1. नाम : **संस्था का नाम 'हिन्दी अकादमी, दिल्ली' होगा।**

2. व्याख्या : जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों एवं विनियमों में प्रयुक्त शब्दों एवं पदों का अभिप्राय निम्नलिखित होगा :-
'अधिनियम' से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाप्रवृत समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 (1957 के पंजाब संशोधन अधिनियम) से है।

'सोसायटी' से अभिप्राय हिन्दी अकादमी दिल्ली से है।
'सदस्य' से अभिप्राय सोसायटी के सदस्य हैं।

'कार्यकारी समिति' से अभिप्राय इन नियमों के अधीन गठित कार्यकारी समिति से है।

'अध्यक्ष'/सभापति' से अभिप्राय निम्नलिखित खंड में यथा प्रमाणित सोसायटी के अध्यक्ष/सभापति से है।

'सचिव' से अभिप्राय हिन्दी अकादमी दिल्ली के सचिव से है।

3. सदस्यता :

(1) अकादमी में निम्नलिखित शामिल होंगे :-
मुख्यमंत्री, दिल्ली अध्यक्ष/सभापति।

(2) मुख्यमंत्री, दिल्ली कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 25 सदस्यों को नामित करेंगे। इसमें अपनी हैसियत से अथवा पदेन स्थिति से भारत सरकार, दिल्ली सरकार अथवा दिल्ली के किसी स्थानीय निकाय के कर्मचारी तथा गैर कर्मचारी जो कि अकादमी के कार्यों एवं इसके उद्देश्य की अभिवृद्धि के लिए उपयोगी हों, शामिल हों।

(3) उपर्युक्त खंड में यथाउल्लिखित शर्तों के आधार पर मुख्यमंत्री, दिल्ली एक सचिव नियुक्त करेंगे। वह हिन्दी अकादमी, दिल्ली के सदस्य सचिव (पदेन) होंगे।

4. अकादमी की सदस्यता की शर्तें :

(1) जिन पदेन सदस्यों को नियम 3 (2) के अधीन नियुक्त किया गया था उनकी अकादमी सदस्यता उनके पद से हटते ही समाप्त हो जाएगी।

(2) पदेन सदस्यों (नियम 3 (2) में उल्लिखित) से भिन्न प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उसकी नियुक्त की तिथि से दो वर्ष होगा। किंतु पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता।

(3) यदि कोई सदस्य त्यागपत्र देता है, विक्षिप्त हो जाता है, दिवालिया घोषित हो जाता है अथवा उनके नैतिक अक्षमतायुक्त सहित किसी फौज़दारी के

अपराध में दोषी ठहराया जाता है अथवा बगैर किसी वैध कारण के लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण, अथवा मुख्यमंत्री द्वारा सुविचारित किसी अन्य कारण से अकादमी की सदस्यता से उनके द्वारा हटा दिया जाता है। इस संबंध में मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम होगा।

(4) नियम 3 (2) में उल्लिखित पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य जब अकादमी की सदस्यता से त्यागपत्र देने का विचार करता है तो अपना त्यागपत्र अकादमी के अध्यक्ष को संबोधित करके इसे भेजेगा एवं त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करने की तारीख से प्रभावी होगा।

(5) पदेन सदस्य से भिन्न अकादमी की सदस्यता की कोई भी रिक्ति मुख्यमंत्री, दिल्ली द्वारा भरी जाएगी, एवं ऐसा नियुक्त व्यक्ति अकादमी की अनबीती अवधि तक के लिए पदासीन रहेगा।

(6) अकादमी में कोई भी पद रिक्त होने तथा इसके किसी भी सदस्य के नामित किये जाने में कोई त्रुटि रहने, तथा किसी भी सदस्य के नामित अथवा नियुक्त न किये जाने, अथवा उसमें कोई त्रुटि रहने के बावजूद अकादमी अपना कार्य करती रहेगी।

5. अध्यक्ष : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री हिन्दी अकादमी, दिल्ली के अध्यक्ष/सभापति होंगे।

6. उपाध्यक्ष : यदि मुख्यमंत्री अथवा अध्यक्ष कभी उचित या आवश्यक समझें, तो एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष/सभापति नामित कर सकेंगे जो उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

7. अकादमी का सचिव : (1) मुख्यमंत्री द्वारा एक वैतनिक व नियमित अधिकारी की विधिवत् नियुक्ति की जाएगी जो अकादमी के कार्यालय का कार्यभारी अधिकारी होगा।

(2) सचिव अध्यक्ष के पूर्ण पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन के अधीन अकादमी के दिन-प्रतिदिन के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा।

(3) सचिव को अकादमी के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराये जाएँगे।

(4) संस्था द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों के अधीन सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जोकि अध्यक्ष के निर्देशन एवं मार्गदशन से अकादमी के समुचित प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) सचिव अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट, उसका लेखा तथा बजट, सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(6) सचिव कर्मचारियों के कर्त्तव्य निर्धारित करेगा, तथा कार्यालय पर यथाआवश्यक पर्यवेक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा।

(7) सचिव, लेखकों, अनुवादकों से उनके कार्य के बारे लिखा-पढ़ी करेगा,

पाँडुलिपियों की जाँच करेगा, उसका संपादन करवाना तथा अध्यक्ष की स्वीकृति लेने के बाद उनके छपने की व्यवस्था करेगा। वह अकादमी की ओर से दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग तथा अन्य निकायों से संपर्क भी बनाये रखेगा।

8. अकादमी की बैठक : (1) अकादमी की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी। अकादमी की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को कम से कम 15 दिन पहले सूचित किया जाएगा।

(2) सचिव अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद बैठक बुलाएगा।

(3) अकादमी की बैठक के लिए आठ सदस्यों के कोरम की अपेक्षा होगी, परंतु उस बैठक का अधिसूचित कार्य करने के लिए कोई कोरम आवश्यक नहीं होगा, जो इसके (कोरम) अभाव में स्थगित कर दी गयी हो।

(4) बैठक में उपस्थित सदस्यों में से अधिकांश सदस्यों का निर्णय अकादमी का निर्णय समझा जाएगा।

(5) प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का अभिलेख रखा जाएगा।

(6) वर्ष की पहली बैठक जो सामान्यतया 31 मार्च से पहले आयोजित होगी, वार्षिक सामान्य बैठक होगी :

(क) यह माँग अकादमी के कम से कम 7 उपस्थित सदस्यों द्वारा की गयी हो।

(ख) उक्त माँग संबंधित सदस्यों के हस्ताक्षरों के साथ सचिव के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत की गयी हो।

(ग) जिस कारण से बैठक बुलाने की आवश्यकता पड़ी उसके विषय का उल्लेख विशेष रूप से किया गया हो।

9. सामान्य वार्षिक बैठक में होने वाली कार्यवाही : (1) अकादमी की सामान्य वार्षिक बैठक में सचिव निम्नलिखित मदें रखेगा :-

(क) अकादमी के वार्षिक बजट, जिसमें अगले वित्त वर्ष के लिए संभावित आय और व्यय के अनुमान का उल्लेख हो, तथा चालू वर्ष की पूरक माँग हो।

(ख) अकादमी के कार्य-चालन से संबंधित पिछले वर्ष की प्रशासनिक रिर्पोट तथा भविष्य के कार्यक्रम की रुपरेखा।

(2) (ग) अकादमी की संपत्ति, परिसंपत्ति तथा देयता से संबंधित तुलनपत्र और लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित (अकादमी का) पिछले वित्त वर्ष का वित्तीय विवरण।

(घ) कोई अन्य विषय जिसे अध्यक्ष की अनुमति से विधिवत् प्रस्तुत किया जाय।

तुलनपत्र की प्रतियाँ, वित्तीय विवरण तथा उपर्युक्त नियम (1) में उल्लिखित अकादमी के कार्यचालन की रिर्पोट अकादमी के सचिव द्वारा मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार को सामान्य वार्षिक बैठक के 15 दिन के भीतर भेजी जाएगी।

10. कार्यकारी समिति : इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) 1. अकादमी के सभापति/अध्यक्ष

2. अकादमी के उप सभापति/अध्यक्ष

3. खंड 3(2) में शामिल सदस्यों में से अध्यक्ष अकादमी से चुने गये सात (7) सदस्य, परंतु इसमें नियमानुसार अकादमी का उपाध्यक्ष चुना गया सदस्य शामिल नहीं है।

(ख) 4. अकादमी के सचिव संयोजक

अकादमी के सचिव कार्यकारी समिति के संयोजक होंगे।

(ग) कार्यकारी समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की कार्य-अवधि भी अकादमी की कार्य-अवधि की तरह दो वर्ष की होगी।

(घ) इस नियम के उप नियम (1) और (3) से (4) आवश्यक परिवर्तन सहित समिति के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

(ड) यदि कोई सदस्य बगैर किसी वैध कारण के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो मुख्यमंत्री, दिल्ली द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

11. कार्यकारी समिति की शक्तियाँ : (1) समिति नीति-संबंधी मामलों पर अकादमी के निर्णयों को कार्यान्वित करेगी, तथा अकादमी के कार्यों को चलाने की व्यवस्था करेगी।

(2) समिति के अधीन समस्त शक्तियाँ होगी जो संस्था ज्ञापन में उल्लिखित अकादमी के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक तथा कालोचित होगा।

(3) उपर्युक्त उपनियम (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की सामान्यता पर बिना किसी प्रतिकूल प्रमाण के समिति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :-

(क) हिन्दी में पुस्तकों तथा अन्य प्रकार के साहित्य का प्रस्तुतीकरण, तथा प्रकाशन से संबंधित अपनी नीति निर्धारित करना।

(ख) अपना कार्य और प्रशासन चलाने के लिए नियम बनाना ,अपनाना तथा

परिवर्तन करना।

(ग) अकादमी के कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थायी, कार्यभार-मुक्त तथा पदच्युत करना।

(घ) अकादमी की स्वीकृति से कर्मचारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करना।

(ड) अकादमी के लिए निधि प्राप्त करना, उसे रखना तथा खर्च करना, तथा इसकी (अकादमी की) संपत्ति तथा कार्यकलापों का प्रबंध देखना।

(च) अकादमी की पूर्व अनुमति से तथा अध्यक्ष की स्वीकृति के अधीन कोई संपत्ति खरीदना उसे ऋण पर लेना, अन्यथा संपत्ति अभिगृहित करना अथवा देखना।

(छ) अकादमी के किसी कार्य को सामान्य रूप से चलाने हेतु, अथवा तदर्थ प्रयोजन के लिए एक अथवा उप समितियों की नियुक्ति करना।

(ज) किसी सदस्य अथवा सदस्यों को (तीन से अधिक नहीं) किसी कार्य में उसका परामर्श लेने के लिए सहयोजित करना।

12. कार्य समिति की बैठक : (1) समिति की बैठक महीने में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित होगी, तथा प्रत्येक ऐसी बैठक के लिए तीन दिन पहले सूचित किया जाएगा। परंतु आपात बैठक 24 घंटे की सूचना पर बुलायी जा सकती है।

(2) सचिव समिति के संयोजक होंगे, तथा अध्यक्ष से परामर्श के बाद बैठक बुलाएँगे।

(3) सचिव द्वारा ऐसी प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का अभिलेख रखा जाएगा।

(4) मौजूदा सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय समिति का निर्णय माना जाएगा।

(5) व्यक्तिगत रूप से एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति पर कोरम पूरा समझा जाएगा परन्तु उस बैठक का अधिसूचित कार्य करने के लिए कोई कोरम अपेक्षित नहीं होगा, जो कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गयी है।

(6) अध्यक्ष तथा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यदि नामित हो तो उस समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, परंतु किसी बैठक में यदि दोनों ही अनुपस्थित रहते हैं तो उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने आप में से चुना हुआ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

13. वित्त एवं लेखा परीक्षा : (1) अकादमी उपयुक्त लेखा तथा अन्य संबंधित अभिलेख रखेगी।

(2) अकादमी के लेखा की अकादमी द्वारा नियुक्त किये गये लेखा परीक्षकों द्वारा वार्षिक जाँच की जाएगी।

14. कोषाध्यक्ष : (1) अकादमी के अध्यक्ष वित्तीय नियमों तथा विनियमों का पर्याप्त ज्ञान रखने

वाले व्यक्ति को अकादमी का कोषाध्यक्ष नियुक्त कर सकते है तथा उसे समुचित मानदेय अथवा यात्रा भत्ता स्वीकृत कर सकते है।

(2) बैंक लेखा कोषाध्यक्ष और सचिव स्वयं अपने हस्ताक्षरों के अधीन रखेंगे।

15. सामान्य उपबंध : (1) अकादमी की संपत्ति से हुई आय संस्था के ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्यों की संवृद्धि के लिए खर्च की जाएगी। अकादमी की किसी संपत्ति अथवा आय के किसी भाग को किसी पूर्व अथवा वर्तमान सदस्य को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से लाभांश बोनस अथवा अन्य रूप से हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

(2) अकादमी से संबंधित सभी संविदाएँ और अन्य दस्तावेज स्पष्ट रूप से अकादमी के नाम में किये जाएँगे तथा समिति के कार्य सचिव एवं उस प्रयोजन के लिए कार्यकारी समिति द्वारा नामित सदस्य अकादमी की ओर से उसे निष्पादित करेंगे।

(3) अकादमी द्वारा नियुक्त किये गये इसके अथवा किसी कार्यकारी समिति के सदस्य जो दिल्ली प्रशासन अथवा केंद्रीय सरकार सांविधिक निकायों के कर्मचारी हैं, वे अपने सरकारी सांविधिक निकायों सें संबंधित नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे। अकादमी के अन्य सदस्य भारत सरकार के प्रथम श्रेणी कर्मचारी के लिए ग्राह्य भत्ता के पात्र होंगे।

(4) इन नियमों की व्याख्या व्यवस्थित मामलों के संबंध में कोई विवाद उठ खड़ा होने पर उसे मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजा जाएगा, और उस पर उनका निर्णय अंतिम होगा।

16. भंग किया जाना : आवश्यक होने पर सोसायटी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 14 के अनुसार निर्धारित उपबंधो के अधीन भंग किया जा सकता है।

17. नियमों में संशोधन : संशोधन के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलायी गयी अकादमी की सामान्य बैठक में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा 12 एवं 12 (क) के अनुसार निर्धारित उपबंधो के अधीन नियमों को संशोधित, परिवर्तित अथवा परिवर्द्धित किया जा सकता है।

18 मुकदमें : दिल्ली हिन्दी अकादमी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 6 के अनुसार दिल्ली की हिन्दी अकादमी के नाम से अपने सचिव द्वारा किसी पर मुकदमा चला सकती है, अथवा इस नाम से उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

19. वार्षिक सूची : सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4 के अनुसार सोसायटी प्रत्येक वर्ष अपनी कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची सोसायटी पंजीयक के कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।

20. प्रयोज्यता : दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाविस्तारित सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का 11 पंजाब संशोधन अधिनियम 1954 के सभी उपबंध इस सोसायटी पर लागू होंगे।